# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 940/2017............ जिला : जयपुर

उनवान मैसर्स सिका इण्डिया मिल्स प्रा.लि. जयपुर बनाम सहायक आयुक्त वृत–के, जयपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19.06.2017 | खण्डपीठ<br>श्री नत्थूराम, सदस्य<br>श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य<br><br>अपीलार्थी के ओर से श्री जी.एन.शर्मा, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित।<br><br>अपीलार्थी की ओर से उक्त यह अपील मय स्टे प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी, तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी'' कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.2017, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त,वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–के,जयपुर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 सपठित अधिनियम की धारा 23(1) के तहत् निर्धारण वर्ष 2013–14 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 05.04.2017 में विवादित मांग राशि रू. 2,17,84,369/– की वसूली को स्थगित रखने का निवेदन किया गया है।<br><br>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समस्त मांग सी/एफ फार्म प्रस्तुत नही करने के कारण सृजित की गई है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय चाहने के उद्देश्य से स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसको उन्होंने इस आधार पर निरस्त कर दिया कि घोषणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय बढाने का अधिकार केवल कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त है, अपीलीय अधिकारी को नहीं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय बढाने का निवेदन किया तथा यह भी निवेदन किया घोषणा पत्र प्रस्तुत करने तक उसके द्वारा आवेदित स्थगन हेतु राशि को स्थगित रखने का निवेदन किया।<br><br>विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलाधीन आदेश को उचित बताते हुए प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।<br><br>उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र सी/एफ के अभाव में मांग सृजित की गई है और उसके द्वारा | |

घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का समय बढाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का समय बढाने हेतु स्थगन प्रस्तुत किया गया है। घोषणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय बढाने का अधिकार केवल कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त है, अपीलीय अधिकारी को नही है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी को घोषणा पत्र सी/एफ प्रस्तुत करने हेतु दो माह का समय और दिया जाकर उसके द्वारा स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 2,17,84,369/–को दो माह के लिए कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) पेश करने की शर्त पर, रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा । अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण का निस्तारण इस आदेश की प्राप्ति के दो माह के भीतर करना सुनिश्चित करें।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य